



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 209 राँची, शुक्रवार,

6 मई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

29 अप्रैल, 2022

संख्या-5/आरोप-1-153/2016 का०-2758--श्री सीताराम बारी, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-288/03, गृह जिला- सिंहभूम), तत्कालीन मेसो परियोजना पदाधिकारी, जमशेदपुर के विरुद्ध उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-914/ITDA दिनांक 29.10.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध करवाया गया है। श्री बारी के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

“वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में मेसो कार्यालय, जमशेदपुर द्वारा संचालित वृक्षारोपण योजना में अनियमितता के संबंध में श्री दिनेश महतो एवं अन्य के परिवाद पत्र पर माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा दिनांक 12.10.2015 में पारित आदेश में उल्लिखित है कि-

श्री दिनेश महतो एवं अन्य के परिवाद पत्र के अनुसार भारत सरकार के विशेष केन्द्रीय योजना अंतर्गत फलदार एवं इमारती वृक्षों का वृक्षारोपण कार्यक्रम में भारी घपला किया गया है। लगभग 60 लाख रुपये की इस योजना में धरातल पर कहीं भी वृक्ष या तालाब दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। इनका कहना है कि भारत सरकार की इस योजना को झारखण्ड सरकार के मेसो परियोजना, जमशेदपुर द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 6650000.00 (छियासठ लाख

पचास हजार) है, जिसमें 6148560.00 रुपये (एकसठ लाख अड़तालीस हजार पांच सौ साठ) विमुक्त की गयी है एवं योजना की जमीन पर जानकारी लिये जाने के क्रम में इन्हें कई घपला नजर आया है।

माननीय लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार इस अनियमितता के लिये डा० नेहा अरोड़ा, भा०प्र०से०, तत्कालीन सहायक दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा को समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन के आलोक में आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा की टिप्पणी के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा श्री सीताराम बारी, तत्कालीन मेसो परियोजना पदाधिकारी, जमशेदपुर को प्रथम द्रष्टया दोषी पाया गया है।

उक्त आलोक में श्री सीताराम बारी, तत्कालीन मेसो परियोजना पदाधिकारी, जमशेदपुर का यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है।”

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10283 दिनांक 06.12.2016 द्वारा श्री बारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। इसके अनुपालन में श्री बारी के पत्र दिनांक 10.01.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें श्री बारी द्वारा अन्य तथ्यों के अतिरिक्त यह भी अंकित किया गया है कि झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के proviso के अंतर्गत उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही मान्य नहीं है।

श्री बारी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2050 दिनांक 08.03.2017 द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से मंतव्य की मांग की गई एवं इस हेतु पत्रांक-10765 दिनांक 18.10.2017, पत्रांक-3772 दिनांक 31.05.2018, पत्रांक-5788 दिनांक 02.08.2018 एवं अर्द्धसरकारी पत्र सं०-7754 दिनांक 23.10.2018 द्वारा स्मार पत्र निर्गत किया गया, किन्तु उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर का मंतव्य अभी तक अप्राप्त रहा।

श्री सीताराम बारी, झा०प्र०से० दिनांक 28.02.2012 को सेवानिवृत्त हुए हैं तथा इनके विरुद्ध लगाये गये आरोप वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 से संबंधित होने के कारण झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालन के बिन्दु पर विधि विभाग, झारखण्ड, राँची से परामर्श प्राप्त किया गया।

अतः विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य एवं मामले की समीक्षोपरांत श्री सीताराम बारी, तत्कालीन मेसो परियोजना पदाधिकारी, जमशेदपुर के विरुद्ध इस मामला को कालबाधित मानते हुए संचिकास्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सीताराम बारी, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
